न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/437

श्रीमती विजय देवी आयु 46 वर्ष पत्नी श्री रमाकान्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्री नारायण आयु 70 वर्ष आत्मज श्री गोपाल लाल जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील व जिला बून्द (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती पुष्पा विधवा श्री नारायण जाति धाकड जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
   1/2. श्री कल्याण आत्मज श्री नारायण जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. श्री श्रीलाल आत्मज श्री नारायण जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. श्रीमती ग्यारसी विधवा श्री श्रीलाल जाति धाकड निवासी दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
   2/2. श्री लटूर आत्मज श्री श्रीलाल जाति धाकड निवासी दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
   2/3. श्री सत्यनारायण आत्मज श्रीलाल जाति धाकड निवासी दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
   2/4. श्री तेजमल आत्मज श्रीलाल जाति धाकड निवासी दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी
   2/5. श्रीमती मनभरी पुत्री श्रीलाल पत्नी श्री जगदीश जाति धाकड निवासी ग्राम रायता तहसील एवं जिला बून्दी ।
   2/6. श्रीमती धापू पुत्री श्रीलाल पत्नी श्री रामलाल जाति धाकड निवासी ग्राम माधोराजपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री योगेश यादव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 21.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद बाबत् कब्जा भूमि प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दौलाडा तहसील व जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 17 रकबा 08 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में से दक्षिणी पूर्वी साईड वाली कृषि भूमि खसरा नम्बर 29 से अडी हई 03 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि दिनांक 07.01.1983 को नियमानुसार वादिनी को आवंटित की गई है और नियमानुसार कब्जा दिया गया है । प्रतिवादी ने उक्त भूमि पर अगस्त 1983 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करके उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है ।

3. अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी के कायममुकामान को बेदखल किया जाकर वादिनी को कब्जा दिलाया जावे । अतिक्रमण की तिथि से ताकब्जा भूमि वादिनी को प्रतिवादीगण से भूमि के उपभोग का मुआवजा तथा वाद व्यय दिलाया जावे । आवंटित भूमि वादिनी के खातेदारी में दर्ज की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 के द्वारा वादिनी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 से व्यथित होकर वादिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारों ने राजीनामा पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय को उक्त वाद लोक अदालत की भावना से करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने कयास के आधार पर पूर्व से कब्जा होने का अंदाज लगाकर वाद को खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन 27 वर्ष बाद नियम विरूद्ध होने का निर्णय देने में भारी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से 30 वर्षों से कब्जा प्रतिवादीगण का चला आ रहा है ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादिनी को आवंटित कर कब्जा दिया गया था । वादिनी वादग्रस्त आराजी की खातेदार है । प्रतिवादीगण ने सन् 1983 में अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया था इस आधार पर दावा पेश किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण की बेदखली और खातेदारी घोषणा की प्रार्थना की गई थी । दावे में तनकीयात कायम की गई इसके उपरान्त दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश कर दावे को डिक्री करने की प्रार्थना की गई । इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने दावा खारिज किया है । 27 वर्ष के बाद प्रतिवादी के कथन के आधार पर आवंटन को नियम विरूद्ध माना है । वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण ने अपने कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये थे फिर भी वादिनी का कब्जा नही मानकर दावा खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय को राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री करना चाहिए था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरडी 2012 पेज 517 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने बरूए राजीनामा दावा डिक्री करने में सहमति दी ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी के द्वारा दावा बाबत् कब्जा भूमि पेश किया गया था । इस दावे में राजस्थान सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया । मात्र प्रतिवादीगण से कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की हैं । वादीगण द्वारा दिनांक 30.11.2017 को संशोधित दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादीगण से कब्जा दिलाये जाने के अलावा वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी प्रदान करने की भी प्रार्थना की है । पक्षकारों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.03.2018 को एक राजीनामा पेश किया गया है जिसमें वादिनी को खातेदारी अधिकार प्रदान करने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया गया है ।

10. जहॉ तक वादीगण जो कि वादग्रस्त आराजी के गैर खातेदार हैं को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रश्न है इस बाबत् उन्हें आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और आवंटन अधिकारी नियमानुसार उस प्रार्थना पत्र के आधार पर आवंटन की शर्तों की पालना होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर सकते हैं । खातेदारी अधिकारों की घोषणा की प्रार्थना एक ऐसे दावे में जो कि प्रतिवादीगण को बेदखल करने के लिए पेश किया गया हो उसमें नही की जा सकती और न ही इस आशय का कोई राजीनामा वादी व प्रतिवादीगण के साथ कर सकते हैं कि उनको वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि खातेदारी प्रदान करने का अधिकार आवंटन नियमों के अनुसार आवंटन अधिकारी को होता है । इस दृष्टि से पक्षकारों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो राजीनामा पेश किया गया था वो विधि के अनुरूप नहीं होने के कारण दावा बरूए राजीनामा डिक्री नहीं हो सकता ।

11. इस सीमा तक अधीनस्थ न्यायालय का मत विधि सम्मत है परन्तु दावा मुख्य रूप से बेदखल के लिए पेश किया गया था और वादीगण गैर खातेदार होने की स्थिति में भी बेदखली का दावा पेश करने के लिए स्वतंत्र है । ऐसी स्थिति में पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर बेदखली की सहायता के बाबत् विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है । इस क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकी नम्बर 01 एवं 04 महत्वपूर्ण हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 4 में दावे में अवधि बाधित नहीं माना है और तनकी नम्बर 01 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया है । ये दोनों विवेचन एक–दूसरे के विरोधाभासी हैं ।

12. इन तथ्यों के आधार पर वादिनी के द्वारा मूल रूप से प्रतिवादीगण के खिलाफ जो बेदखली का दावा पेश किया गया था, उसको पेश किये गये दस्तावेजात के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों द्वारा राजीनामा विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण दावे का निस्तारण बरूए राजीनामा नहीं किया जा सकता परन्तु वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ बेदखली का जो दावा पेश किया गया है उस बाबत् पैरा नम्बर 11 में किये गये विवेचन के अनुसार नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 13.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.1.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा